फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

। संख्या :- 79/2023

गोपाल **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30. 04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
30.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी की पूर्व में सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत् सीमाचिन्ह कायम किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

प्रार्थना पत्र संख्या 79/2023 निर्णय दिनांक / /2024

उनवान

1. गोपाल पुत्र श्रीनारायण
2 रमेश पुत्र श्रीनारायण

समस्त जाति नायक निवासी ग्राम भोज्याडा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत्।

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम पेश कर र्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 452/1826, 459/2, 476/1, 477/1 कुल ता 04 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम भोज्याडा पटवार हल्का भोज्याडा तहसील कसू जो प्रार्थीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है पर सीमा का विवाद होना ाया है।

प्रार्थीगणों ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर सीमाकंन र्यवाही दिनांक 16.06.2022 के अनुसार सीमा चिन्ह कायम करवाने का आदेश चाहा गया

अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड ना स्वीकार किया है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील चाकसू को आदेशित किया ाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमाओं के सबंध में विवाद का निपटारा —राजस्व अधिनियम की धारा —111 के प्रावधानों के अनुसार करने हेतु जहॉ प्रार्थीगणों ी भूमी अवस्थित है उस भू0अ0नि वृत के भू0अ0नि के नेतृत्व में उसके अधीन तीन टवारियों की टीम गठित की जावें। तहसीलदार द्वारा धारा—111 के प्रावधानों के अनुरूप ीमाकंन के सबंध में प्रार्थीगणों की भूमी के चारों दिशाओं में स्थित भूमी के काश्तकारों को स आशय की सूचना प्रार्थीगणों के डाक खर्च पर रजि0 डाक द्वारा सीमाकंन हेतु नियत देनांक से कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

भू-राजस्व अधिनियम की धारा-111 के प्रावधानों के तहत सीमाकंन के उपरान्त तहसीलदार के लिखित आदेश से प्रार्थीगण चिन्हित की गई सीमा पर बतौर निशानात सीमाचिन्ह अपने खर्चे पर कायम कर सकेगें।

यह आदेश केवल सीमाचिन्ह बतौर निशानात कायम करने तक सीमित है। इस आदेश की पालना में प्रार्थीगण किसी अन्य पडौसी के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने के अधिकारी नही होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू
जिला जयपुर